07/10/25
पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो.
किशनगढ़ [illegible] का स्थगन
रखा गया। [illegible] P.O. सा.
के समक्ष दि. 14/10/25 को पेश हो।

14/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.।
वास्ते इन्तजार अप्रार्थी पत्रावली दिनांक
10/11/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

[illegible] वकील [illegible]

10/11/25
पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.
पीठासीन अधिकारी पुनाव में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते
इन्तजार अप्रार्थी दिनांक 28/1/2026
को पेश हो।

28/1/2026 पत्रावली पेश हुई अप्रार्थीगण बावजूद तामील के अनु. है
अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।
वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध
[illegible] पत्रावली में शा.मि.। पत्रावली नियम
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 134/2025

भैंरू बनाम रामकरण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी.

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री अभिषेक सिंह राजपुरोहित

निर्णय दिनांक 28.01.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण दिनांक 3.02.2025 को नियत था। गत पेशीयों पर प्रार्थी के अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन खान हार्ट की बाईपास सर्जरी होने के कारण व स्वास्थ कारणों से प्रार्थी के अधिवक्ता पूर्व पेशीयों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे। पूर्व पेशीयों पर उपस्थित नही होने से प्रार्थीगण के अधिवक्ता प्रार्थी व अन्य प्रार्थीगण को भी आगामी तारिखों की सूचना नहीं दे सके, स्वास्थय कारणों के चलते वकील साहब ने प्रार्थीगण के फोन उठाना भी बंद कर दिया। जिस कारण प्रार्थी को उक्त प्रकरण की नियत तारिख मालुम नहीं हो सकी। कुछ दिन पूर्व प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित होकर कोर्ट रिडर से तारिख मालुम करी तो जानकारी में आया की दिनांक 23/10/24 को उक्त प्रकरण दफतर दाखिल कर दिया गया। उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रति निकलवाने वास्ते प्रार्थी द्वारा आवेदन किया गया तब जानकारी में आया की उक्त प्रकरण दिनांक 23/10/24 को अधिवक्ता व पक्षकार उपस्थित नही होने से खारिज कर दिया गया। प्रार्थी को उसके पूर्व अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण की तारिख पेशी नहीं बताने से प्रकरण दफतर दाखिल कर दिया गया जिसमें प्रार्थी की कोई भूल व लापरवाही नही रही है, प्रार्थी ने सदभाविक रूप से प्रकरण की जानकारी लेकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जानकारी प्राप्त होते ही प्रार्थी ने अविलम्ब रूप से यह रिस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी जानबुझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका एंव प्रकरण रिस्टोर नही होने से प्रार्थी को गंभीर क्षति कारित होगी व न्याय से वंचित हो जायेंगें। जिस कारण प्रकरण को पुनः दर्ज कर नम्बर पर लिये जाने की कृपा करें, अतः श्रीमान निवेदन है की प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण के आदेश दिनांक 23.10.2024 को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण को रिस्टोर किया जाकर पुनः नम्बर पर लेने की कृपा करें।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.10.2024 से दिनांक 03.06.2025 लगभग 08 माह की अवधि के विलम्ब का कोई ठोस एवं सन्तोषजनक कारण उल्लेख नहीं किया गया है जिससे मियाद को स्वीकार किया जा सके। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा मूल वाद पत्र क्रमांक 147/2017 उनवान भैंरू बनाम रामकरण खारिज दिनांक 23.10.2024 को पुनः प्रत्यास्थापन करने बाबत पेश किया गया है। प्रकरण क्रमांक 147/2017 उनवान भैंरू बनाम रामकरण में वादी अधिवक्ता को दिनांक 23.10.2024 को न्यायालय समय तक तीन बार आवाज लगवाई गई थी किन्तु वे अनुपस्थित रहे थे जिसके फलस्वरूप वादी का वाद पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 23.10.2024 को खारिज कर दिया गया था। दिनांक 23.10.2024 को वाद खारिज होने के बाद वादी एवं वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.06.2025 को रिस्टोरेशन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 23.10.2024 से दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

03.06.2025 लगभग 08 माह की अवधि व्यतीत होने के बाद वादी एवं वादी अधिवक्ता द्वारा उक्त पुनः प्रत्यास्थापन प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा लगभग 08 माह की अवधि के विलम्ब का कोई ठोस कारण उल्लेखित नहीं किया गया है ना ही धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र संलग्न किया गय है, साथ ही प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता अपनी अनुपसंजाति के लिये पर्याप्त हेतुक देने में असफल रहें हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
किशनगढ़